पत्र संख्या–11/वि0–58/1998 सा0प्र0...1500

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
सचिव, तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती)।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
कुलसचिव, सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना–15, दिनांक–30-1-18

विषय :– वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों के रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय परिपत्र संख्या–11813 दिनांक–17.07.2013 द्वारा ग्रेड–पे 4800/– रुपये से नीचे के पदों का रोस्टर क्लीयरेंस के लिए संबंधित विभाग के विभागीय सचिव को प्राधिकृत किया गया था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में ग्रेड–पे के स्थान पर वेतन स्तर की व्यवस्था लागू की गई है, इसके अधीन वेतन स्तर आधारित प्रोन्नति की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, इसलिए वेतन स्तर आधारित रोस्टर क्लीयरेंस के लिए सक्षम स्तर का निर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. इसी प्रकार तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या–970 दिनांक–19.02.2008 द्वारा जिला पुलिस बल में आरक्षी बल के पद पर नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचित किया गया था एवं इसकी प्रति अन्य संबंधित प्राधिकारों को प्रेषित की गई थी, इसके वाबजूद विभिन्न प्राधिकारों से रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में पृच्छाएँ की जाती हैं। इसके अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों में सृजित पदों पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर क्लीयरेंस के स्तर का मामला भी सन्निहित है।

इस परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं को समाहित करते हुए विभागीय परिपत्र संख्या–11813 दिनांक–17.07.2013 एवं पत्र संख्या–970 दिनांक–19.02.2008 के अनुरूप राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय संवर्ग के रोस्टर क्लीयरेंस के सक्षम स्तर के निर्धारण से संबंधित पुनः एक परिपत्र निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है।

4. उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन पुनरीक्षण में पूर्व के ग्रेड–पे 4800/– को ही वेतन स्तर–8 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन सृजित पद प्रमण्डल स्तरीय पद माना गया है।

5. अतः वर्णित स्थिति में सातवें वेतन पुनरीक्षण के पश्चात् पूर्व की ग्रेड–पे आधारित व्यवस्था की भाँति वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों के स्तर पर निष्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं वेतन स्तर–8 एवं इसके ऊपर के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर से सम्पादित किया जायेगा।

6. इस संबंध में निम्नांकित स्पष्टीकरण संसूचित किया जाता है :–

क्रम सं0	रोस्टर क्लीयरेंस से संबंधित पद	रोस्टर क्लीयरेंस का स्तर
1.	वेतन स्तर–8 एवं इसके ऊपर के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस	सामान्य प्रशासन विभाग
2.	वेतन स्तर–7 एवं इससे नीचे के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस	प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव
3.	जिला एवं उससे नीचे स्तर के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस (आरक्षी बल सहित, जिसके नियुक्ति पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक हों एवं ऐसे पद, जिसके नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी न हों)	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी
4.	जिला एवं उससे नीचे स्तर के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस (जिसके नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी हों)	संबंधित जिला के प्रमण्डलीय आयुक्त
5.	प्रमण्डल स्तरीय पद एवं विश्वविद्यालयों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस	संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त (विश्वविद्यालय के मामले में जिस प्रमण्डलीय मुख्यालय के अधीन विश्वविद्यालय हों)

सभी विभागों/पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त आशय की सूचना अपने अधिनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों को भी अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

30/1/18

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–11/वि0–58/1998 सा0प्र0 1500 **पटना–15, दिनांक–** 30/01/2018

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/1/18

सरकार के अवर सचिव।